

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार दिनांक 28 जनवरी 2011—माघ 8, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2011

एफ-ए-3-31-09-1-पांच (03).—यतः राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) के अधीन कर अपवंचन का निवारण या उसे रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थान पर 1 फरवरी, 2011 से जांच चौकी स्थापित करती है तथा नाके का निर्माण करती है:—

सारणी

जांच चौकी तथा नाके के स्थान का नाम तथा विवरण (1)	जांच चौकी तथा नाके की अवस्थिति (2)
मुलताई जांच चौकी, ग्राम—ससुन्दरा, तहसील—मुलताई, जिला—बैतूल.	राष्ट्रीय राजमार्ग (एन. एच.) 69 पर भोपाल से 173/6 किलोमाटर और 174/4 किलोमीटर के बीच.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2011

क्र. एफ-ए-3-31-2009-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-31-2009-1-पांच, (03) दिनांक 28 जनवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th January, 2011

F-A-3-31-2009-1-V-(03).—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary so to do with a view to prevent or check evasion of tax under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby sets up check post and erects barrier at the place specified in the Table below, from 1st February, 2011:—

TABLE

Name and description of place of check post and barrier (1)	Location of check post and barrier (2)
Multai check Post, village Sasundra, Tehsil Multai, District Betul	Between 173/6 K. M. and 174/4 K.M from Bhopal on N. H. 69.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2011

क्र. एफ-ए-3-31-2009-1-पांच, (04).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-195-2005-1-पांच, (20) दिनांक 31 मार्च, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2011 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2011

क्र. एफ-ए-3-31-2009-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-31-2009-1-पांच, (04), दिनांक 28 जनवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th January, 2011

F-A-3-31-2009-1-V-(04).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby makes the following amendment in this department's notification No. F. A-3-195-2005-1-V (20) dated 31st March, 2006, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, serial number 7 and entries relating thereto shall be omitted.

This amendment shall come into force from 1st February, 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl.Secy.